प्रेषक,

**गिरिजेश कुमार,**

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**

पंचायती राज,

उ0प्र0, लखनऊ।

**पंचायती राज अनुभाग-3** **लखनऊ: दिनांक: 27 मार्च, 2020**

**विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत के राजस्व मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/शा/23/2020- आर.जी.एस.ए./81(1)/2015 दिनांक 06.03.2020 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 के क्रम में शासनादेश संख्या-8/2020/747/33-3-2020-100(14)/2018 दिनांक 13.03.2020 द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-14 के राजस्व मद में प्रावधानित धनराशि रू. 21650.75 लाख के सापेक्ष भारत सरकार से राजस्व मद में प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू. 6000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति लेखाशीर्षक 2515-101-01-104-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.60/रा.40-के.+रा.)-42-अन्य व्यय में निर्गत की गयी है। इस सम्बन्ध में उक्तानुसार अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश रू. **4000.00 लाख (रू. चालीस करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

**(1)** निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/ बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22.03.2019 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गई व्यवस्थानुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**(2)** आकडों की शुद्धता व धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा तथा स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

**(3)** प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

**(4)** स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देश एवं भारत सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

**(5)** स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

**(6)** स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था अन्तर्गत निर्धारित मदों में किया जायेगा।

**(7)** स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि को क्रय हेतु सामग्री संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

**(8)** स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

**(9)** धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता सम्बन्धी समय समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा |

**(10)** स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय , स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होनें निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 का होगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**(11)** स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।

**(12)** निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

**(13)** निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येकमाह की 20 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

**(14)** उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक 2515-101-01-104-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (के.60/रा.40-के.+रा.)-42-अन्य व्यय के नामे डाले जायेगा।

**(15)** भारत सरकार द्वारा निर्गत राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) की गाईडलाइन की व्यवस्था के अनुसार उक्त अवमुक्त धनराशि को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के नाम से विजया बैंक, 1/33 ए, विजयखण्ड, गोमतीनगर में खोले गए खाता संख्या-713401621000005, आई.एफ.एस.सी कोड-VIJB 0007134 में जमा किया जायेगा।

**(16)** योजनान्तर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किए जाने से पूर्व वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।

**(17)** योजनान्तर्गत तकनीकी कार्य सम्मिलित होने पर प्रायोजना का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य किया जायेगा।

**(18)** स्वीकृत की जा रही धनराशि हेतु आर.जी.एस.ए. योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या- 4183/33-3-2018-15 सी.एम./2013 टी.सी.।। दिनांक 10.12.2018 एवं अन्य दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**2-** यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0स0-ई-2-325/X-2020 दिनांक-26-03-2020 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

**( गिरिजेश कुमार)**

अनु सचिव।

**<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0 प्रदेश शासन।

3- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।

4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- एन0आई0सी0 की प्रति।

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**( गिरिजेश कुमार)**

अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in